International Journal of Advanced Educational Research
www.multidisciplinaryjournals.org
ISSN: 2455-6157
Received: 09-06-2023, Accepted: 25-06-2023, Published: 11-07-2023
Volume 8, Issue 3, 2023, Page No. 14-16

युद्ध एवं युद्ध अपराध–जेनेवा कन्वेंशन अभिसमय की परिपालना वर्तमान के संदर्भ में

डॉ. रेणुवती राजपुरोहित
सहायक प्रोफेसर, सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
युद्ध मुख्यतः दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सशस्त्र सैनिकों के बीच होता है और युद्ध का मुख्य उद्देश्य विपक्षी से अपनी शर्तों को बनवाना है। जब युद्ध चल रहा है उस समय युद्धरत देशों को युद्ध काल में कुछ नियमों को मानना जरूरी है जो जेनेवा कन्वेंशन में सर्वसम्मति से बनाए गए।
इस लेख में जेनेवा कन्वेंशन और उसकी पालना से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है और युद्ध अपराध क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से बताते हुए रूस यूक्रेन युद्ध में हुए युद्ध अपराध के बारे में बताया गया है और दुश्मन देश द्वारा विपक्षी पक्ष के सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए उन्हें अपने देश को कैसे सुपुर्द करना चाहिए। लेख में इन नियमों में संशोधन व वर्तमान परिपेक्ष्य में परिपालना के बारे में चर्चा की गई है।

मूल शब्दः जेनेवा अभिसमय, मानवीय विधि, युद्ध अपराध

युद्ध की परिभाषा
अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने और अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए राज्यों के पास शक्ति का प्रयोग और युद्ध अंतिम साधन रहा है ओपन हीम के अनुसार युद्ध दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष है जिसका उद्देश्य दूसरे को पराजित कर शांति की ऐसी शर्ते निरूपित करना है जैसा कि विजेता राष्ट्र चाहता है।
परंतु युद्ध में सब जायज है यह कथन पूरी तरह से सही नहीं है युद्ध या सशस्त्र संघर्ष में भी मानवता का समावेश होता है और युद्ध को विनियमित करने के प्रयत्न किए गए हैं और सशस्त्र संघर्ष को नियमित करने के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन्हें युद्ध की विधि कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय विधि में युद्ध के नियम (मानवीय विधि)
युद्ध के नियमों की शुरुआत प्राचीन भारत, यूनान, चीन और रोम में हुआ था भारत में सूर्यास्त के पश्चात युद्ध को वर्जित माना गया और शरण में आए शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता था इसके अलावा इसकी घोषणा 1856 में युद्ध के समय तटस्थ राष्ट्रों के पोतो को सुरक्षित रखने के नियम प्रतिपादित किए गए थे जेनेवा रेडक्रॉस अभिसमय कन्वेंशन 1864 के द्वारा युद्ध काल के दौरान अस्पतालों तथा एंबुलेंस की सुरक्षा संबंधी नियम बनाए गए थे ।

युद्ध पर रोक लगाने का प्रयास
प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रों को युद्ध की भयावहता का बोध करवाया और राष्ट्र संघ प्रसंविदा में युद्ध को रोकने के प्रयास किए गए। प्रसंविदा में उपबंध किया गया कि यदि राष्ट्रों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है और युद्ध की संभावना बनती है तो तुरंत युद्ध नहीं करके उस विवाद को पंचाट या न्यायिक निर्णय को सौंपा जाएगा और रिपोर्ट आने पर भी वे तीन महीने तक युद्ध नहीं करेंगे अर्थात युद्ध के वेग को शिथिल करने की ओर यह एक प्रयास था राष्ट्र संघ के अनुसार तीन महीने के बाद राष्ट्र युद्ध कर सकते हैं यानी वैद्य युद्ध माना गया परंतु यदि राष्ट्र तीन महीने के भीतर युद्ध करेगा और नियमों की अनदेखी करेगा तो इस युद्ध को राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध माना जाएगा।

पेरिस की संधि 1928
संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बीच एक संधि हुई इसको केलाग–ब्रियाँ समझौते या युद्ध का परित्याग की सामान्य संधि कहा जाता है। इसके अनुसार सभी राष्ट्र युद्ध को राष्ट्र की नीति के रूप में त्यागने का वचन देते हैं जो भी पक्षकार राष्ट्र है।

युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ
द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के विनाश तथा जनहानि का विश्व के जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि युद्ध की विभीषिका से भावी पीढ़ी को बचाएंगे। संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी को रोकना। चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अंतर्गत सभी राष्ट्रों को बल प्रयोग के नियंत्रण के बारे में बताता है यह उल्लेखनीय है कि चार्टर में युद्ध शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है इसका कारण यह है कि 1928 केलाग–ब्रियाँ समझौते द्वारा युद्ध को राज्य नीति से हटा दिया है और संयुक्त राष्ट्र ने इस पर रोक लगा दी है युद्ध के नियमों जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय विधि कहा जाता है उनको अब सहस्त्र संघर्ष में भी लागू किया गया है।
जेनेवा अभिसमय 1949 और इसके प्रोटोकोल भी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में अंतर नहीं करते हैं अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस के अध्यक्ष जैकब केलेनबर्गर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि उन नियमों का समूह है जो सशस्त्र संघर्ष में व्यक्तियों के संरक्षण और युद्ध स्थिति को नियमित करती है। इसका प्रयोजन किन्हीं भी कारणों युद्ध में प्रभावित व्यक्तियों के कष्टों को न्यूनतम करना है। यह विधियां सभी राष्ट्रों व्यक्तियों और संयुक्त राष्ट्र पर भी बाध्यकारी है इन विधियों को हेग अभिसमय 1907 में युद्ध से संबंधित नियम बनाकर विनियमित किया गया है। इसमें योद्धक और अयोद्धक में अंतर किया गया है ये नियम योद्धक के लिए बनाए गए हैं योद्धक स्थल, जल और वायु सेना के नियमित सैनिक होते हैं।

जेनेवा अभिसमय क्या है
जेनेवा अभिसमय दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध काल के नियमों को निर्धारित करने वाला एक समझौता है इसमें युद्ध काल

के दौरान बंदी बनाए गए सैनिक और असैनिक के साथ मानवीय भावना का ध्यान रखा जाता है।

जेनेवा समझौते का इतिहास बहुत पुराना है एक बार हेनरी दुनंत जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता रेडक्रॉस के संस्थापक थे। यह सन 1859 में सोलफेरिनो की लड़ाई के बाद वहां घायल सैनिकों से मिलने गए और वे सैनिकों की मदद के लिए वहां उपलब्ध मदद व चिकित्सा सुविधाओं की कमी से हैरान थे और उन्होंने 1862 में एक पुस्तक "ए मेमोरी और सोलफेरिनो" प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने युद्ध काल पर बात की और इन्हीं अनुभवों से उनके मन में जेनेवा समझौते का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने सबके सामने रखा। इसके साथ जब भी जेनेवा अभिसमय में संशोधन हुआ तो इसमें अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस भी शामिल था। जेनेवा अभिसमय में चार अभिसमय एवं तीन प्रोटोकॉल शामिल है जो निम्नलिखित है

पहला जेनेवा अभिसमय

यह अभिसमय 1807 में हुआ। इसमें युद्ध में घायल और अस्वस्थ सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में कहा गया। इसके बाद सन् 1906 में और फिर सन् 1929 में संशोधित किया गया और सन् 1949 में यह पूरी तरह से निश्चित रूप से बन गया।

दूसरा जेनेवा अभिसमय

यह समझौता प्रमुख रूप से समुद्र में घायल बीमार जलपोत वाले सैन्य कर्मियों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए किया गया। सन् 1906–1907 में दूसरे जेनेवा समझौते के रूप में समुद्री युद्ध के पीड़ितों की सुरक्षा पर पहला समझौता था इस समझौते को भी सन् 1949 में पूरी तरह से लागू किया गया।

तीसरा जेनेवा अभिसमय

यह अभिसमय 1929 में हुआ, यह समझौता मुख्य रूप से युद्ध काल में पकड़े गए सैनिकों की जान और सम्मान की रक्षा करना था। इस अभिसमय में दुश्मन देशों के द्वारा सैनिकों के पकड़े जाने पर कैद की स्थिति और उसके स्थानों के बारे में विस्तार से बताया गया है युद्ध बंदियों को उचित उपचार देने की बात कही गई इसके अलावा इस अभिसमय में युद्ध बंदियों को बिना देरी के रिहा करने की बात भी की गई।

चौथा जेनेवा अभिसमय

ये समझौता 1949 में हुआ और इसमें नागरिकों की सुरक्षा की बात की गई। युद्ध के आसपास के क्षेत्रों में भी नागरिकों के अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया ताकि किसी भी तरह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना किया जा सके। इस अभिसमय के नियम व कानून 21 अक्टूबर 1950 से मान्य है।

जेनेवा अभिसमय की परिपालना

स्विजरलैंड का एक प्रमुख जेनेवा में एक कानून बनाया गया जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति हो और उस समय में कोई सैनिक या नागरिक दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश करने पर उसे बंदी बना लिया जाए तो इस संधि के अनुसार उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा क्योंकि यह संधि युद्ध काल में बंदी बनाए गए सैनिक और नागरिक के साथ किसी भी तरह की बर्बरता पर रोक लगाता है। इस संधि की परिपालना नहीं करने पर संबंधित देशों के कार्य जेनेवा समझौते के विरुद्ध माने जाएंगे। इस संधि पर अब तक 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। जिसने भारत व पाकिस्तान भी हस्ताक्षरकर्ता देश है। एक उदाहरण हमारे सामने है जेनेवा अभिसमय की पालना का जब पाकिस्तान द्वारा फरवरी 2019 में भारत की वायुसेना के एक बहादुर सैनिक विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था किंतु जब भारत ने जेनेवा अभिसमय का हवाला दिया तो पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनव को सुपुर्द करना पड़ा।

युद्ध अपराधी: नियम क्या है ?

किन नियमों के तहत किसी को युद्ध अपराधी कहा जा सकता है

रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन और अमेरिका के द्वारा युद्ध अपराधी कहने पर तो अपराधी नहीं बन जाएंगे परंतु जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित स्वतंत्र आयोग की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में रूसी सेना द्वारा युद्ध अपराध करने की पुष्टि की गई और इसके साथ ही केंद्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है इस मामले में कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम लागू होते हैं जो जेनेवा कन्वेंशन 1949 में बनाए गए जो युद्ध से संबंधित थे।

जेनेवा कन्वेंशन में बनाए गए करीब 161 नियमों में अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि या लॉ ऑफ वॉर भी कहा जाता है। यदि कोई भी इन नियमों को तोड़ता है या उल्लंघन करता है तो वह युद्ध अपराधी कहलाएगा।

जेनेवा कन्वेंशन में बने युद्ध के नियमों का अध्याय 44 खासतौर से युद्ध अपराध के बारे में ही बताता है अध्याय 44 के अनुसार युद्ध के दौरान बंदियों के साथ अमानवीय बर्ताव करना, युद्ध बंदियों को ट्रायल से रोकना, आम नागरिकों पर हमला करना और उन्हें अपना निशाना बनाना, आम नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करना, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, पत्रकारों, मेडिकल वर्कर को निशाना बनाना जैसे अपराध युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं।

इन नियमों में एक नियम जो महत्वपूर्ण है और इस नियम के तहत हमला करने से पहले दूसरे देश को चेतावनी देना जरूरी होता है इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी देश बिना दूसरे को बताएं या अचानक दूसरे देश की सीमा में हमला नहीं कर सकता है रूस और यूक्रेन युद्ध में बूचा नरसंहार जैसी घटनाएं सामने आई है इस में रूस को युद्ध अपराधी कहा जा रहा है इसके अलावा और भी बहुत से नियम है जैसे कि प्रतिबंधित और विषैले हत्यारों का प्रयोग नहीं करना आम नागरिकों को बाहर निकलने के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं उपलब्ध करवाना युद्ध अपराध माना जाता है रूस ने कीव में एक टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया परंतु यह अपराध नहीं माना गया क्योंकि इसमें आम नागरिक नहीं मारे गए अगर सड़क ब्रिज पावर स्टेशन का इस्तेमाल सेना कर रही हो तो उस को निशाना बनाया जा सकता है जहां सेना नहीं है उस शहर इमारत गांव को निशाना नहीं बनाया जा सकता और ऐसी जगह पर बमबारी व हमला करना युद्ध अपराध माना जाएगा इसी तरह से अगर युद्ध के दौरान हत्याएं, बलात्कार टॉर्चर किया जाना भी युद्ध के नियमों के खिलाफ होगा अगर कोई देश युद्ध के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और यह मुकदमा व्यक्तियों पर चलता है जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर चलाया गया है।

उपसंहार

राष्ट्रों के बीच मतभेद बढ़ जाता है और दोनों पक्षकार शक्ति का प्रयोग करते हैं युद्ध मुख्य रूप से दो या दो से अधिक राज्यों के सशस्त्र सैनिकों के बीच होता है और युद्धरत देशों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वे एक दूसरे को हरा दे और विपक्षी पक्ष से अपनी शर्तें मनवा ले। 19 वी सदी के मध्य से पहले युद्ध के दौरान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक और अन्य लोगों पर शत्रु देश की ओर से किए जाने वाले अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए न तो कोई नियम थे और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई संधि या अभिसमय हुआ जो इस तरह के अमानवीय बर्ताव को रोक सके।

युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दौरान दो या दो से अधिक देशों के बीच कुछ नियम निर्धारित करने वाला समझौता है जेनेवा कन्वेंशन। इस अभिसमय में चार समझौते और तीन प्रोटोकॉल है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह तय किए गए थे वर्तमान में जेनेवा अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले 196 देश हैं जिन पर ही अभिसमय लागू है इस अभिसमय के अनुसार युद्ध काल में घायल व बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना समुद्र में घायल सैन्य कर्मियों की सुरक्षा एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं जेनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर जो नियम बने उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि कहा गया है। जेनेवा अभिसमय के कारण ही पाकिस्तान को भारत देश के एक बहादुर सिपाही अभिनंदन को वापस भेजना पड़ा।

अगर कोई लड़ाई देश के अंदर ही चल रही है तो यह नियम लागू नहीं होंगे परंतु जब देशों के बीच लड़ाई चल रही है और हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो यह नियम लागू होंगे इन नियमों को बनाने का उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो युद्ध में नहीं लड़ते या लड़ने की स्थिति में नहीं होते।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के अध्याय 44 में कहा गया कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो युद्ध अपराध माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है हाल ही में रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर दोनों देशों में युद्ध चल रहा है और दोनों ही देश मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं और रूसी हमलो को तो युद्ध अपराध बताया जा रहा है।

वर्तमान में जेनेवा अभिसमय के नियमों की पालना भी की जा रही है परंतु जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध होता है तो वे देश सामान्यतः युद्ध अपराध करते हैं और जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वह तो जमकर अभिसमय के नियमों की अवहेलना करता है इस तरह जेनेवा अभिसमय में फिर से संशोधन करने की जरूरत है जब युद्ध के नियमों की अवहेलना करने वाले देश को जांच के बाद उस पर कुछ कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं और और ये जेनेवा अभिसमय युद्ध अपराधों को रोक सके।

संदर्भ सूचि

1. जोशी के सी, (2017), अंतर्राष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार, एबीसी प्रकाशक, लखनऊ तृतीय संस्करणँ, पृष्ठ 2007 से 2021
2. कपूर एस के, (2017), मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद 32 संस्करण, पृष्ठ 500 से 600
3. जांगिड़ अशोक, (2022), जेनेवा समझौता क्या है एवं किन देशों के बीच हुआ, https://wonderfactshindi-com/geneva&convention&in&indi
4. जांगिड़ अशोक, (2022), रूस और यूक्रेन का विवाद क्या है, https://wonderfactshindi. com/russia&ukraine&war&2022&in&hindi/
5. द्विवेदी प्रियंक, (2005), क्या होते हैं युद्ध के नियम? जानिए किन जगहों पर हमला करना माना जाता है अपराध,
6. https://www-aajtak-in/world/story/what/is/law/of/war/ ukraine/volodymyr&zelensky&war&crime&russia& vlatimir&putin&ntc